लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/33/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 19.02.2019

श्री डालचन्द लौहार पिता भारू जी लौहार निवासी नाथीखेड़ा, तहसील कपासन

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 12.03.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 26.12.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 33/2019/(12.03)/118 दिनांक 19.02.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन को दिनांक 12.03.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 12.03.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन से आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः चाही गई सूचना दिलाने की कृपा करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 33/2019 (सू.अ.)
श्री डालचन्द लौहार निवासी नाथीखेड़ा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किये।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.12.2018 से उपखण्ड मजिस्ट्रेट कपासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक न्याय 98/60 दिनांक 29.05.1998 की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जो उसे उपलब्ध नहीं कराना खेदजनक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार राशमी को अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./33/2019(सू.अ.)/146 दिनांकः– 13/03/2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
2. श्री डालचन्द पिता श्री भारू जी लौहार निवासी नाथीखेड़ा, पोस्ट उचनार खुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)